10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES 5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

56

-1- CF R 15/02

राजस्व
न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /05 निगरानी - R 616-II/2005

1-किशोरीलाल पुत्र रामसिंह जाति काछी
निवासी-ग्राम गोरमी तिवारी मोहल्ला
तहसील मेहगांव जिला भिंड (म.प्र.)
------ आवेदक

श्री आर. सी. शर्मा एडवोकेट को प्रस्तुत।
द्वारा आज दि. 5.5.05
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
5 MAY 2005

बनाम

1-रामचरन पुत्र रामसहाय
2-पातीराम पुत्र लालसिंह
समस्त जाति बघेल
3-सीताराम
4-राकेश पुत्रगण रामप्रसाद जाति खटीक
निवासीगण-वार्ड नं. 7 कचनावरोड गोरमी
तहसील मेहगांव जिला भिंड म.प्र.
-------- अनावेदकगण

5/5/05
C. R. C. Sharma Adv

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.3.05 जो प्र.क्र. 50/02-03 अपील में अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मेहगांव के प्र.क्र. 80/01-02 अ.मा. में दिनांक 29.10.02 को पारित किया जो नायब तहसीलदार वृत गोरमी के प्र.क्र. 9/01-02 अ-27 में आदेश दिनांक 15.4.02 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी

श्रीमानजी,

निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1/ यहकि, ग्राम गोरमी स्थित खाता क्र. 897 सर्वे क्र. 2185/1,2186, 2187,2188,2206,2205,2207,2208,2209, कुल किता 10 रकबा 2.530 हैक्टे. के भूमिस्वामी पूर्व में प्रार्थ. के ताऊ रामधुन पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा 1/2, अपीलांट का भाग 1/4, प्रत्यार्थी क्र. 3व4 का भाग 1/4 राजस्व अभिलेख में अंकित है।

2/ यहकि, सर्वे क्र. 2186 मौके पर पड़त होकर उसमें अपीलांट का डीप ट्यूब वेल लगा है शीशम तथा नीम, बबूल, के पेड़ खड़े है पूर्वजो कोसमाधियां

1/2/1. 9.

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 616-दो/2005 निगरानी जिला भिण्ड

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
3-8-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र0क0 50/2002-03 अपील में पारित आदेश दि. 31-3-2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदकगण बार-बार सूचना भेजे जाने के वाद भी अनुपस्थित रहे हैं उनके विरूद्ध एकपक्षीय है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 31--3-05 में आये विवरण से परिलक्षित है कि तहसीलदार गोरमी व्दारा प्रकरण कमांक 9/2001-02 अ-27 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 16-4-2002 के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 80/2001-02 दिनांक 7-6--2002 को प्रस्तुत की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29-10-02 से समयवाह्य पाकर निरस्त की है एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर आयुक्त ने पुष्टिकृत किया है। प्रकरण में विचार यह करना है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कितने विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई है, जबकि तहसीलदार गोरमी का आदेश दिनांक 16-4-02 आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय आधार पर पारित हुआ है। तहसीलदार का आदेश 16-4-02 का है एंव अपील 7-6--02 को प्रस्तुत हुई है 16.4.02 एंव 7.6.02 के बीच का समय =	

माह अप्रेल = 14 दिन
माह मई = 31 दिन
माह जून = 6 दिन कुल 56 दिन

56 दिन में से 45 दिन की अवधि कम करने पर मात्र 11 दिवस अपील विलम्ब से है । अपर आयुक्त के प्रकरण में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि में अंकित अनुसार 30-5-02 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु दिये गये आवेदन पर दिनांक 5-6-02 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने का समय 11 दिवस में से 5 दिन कम करने पर अपील केवल 6 दिन के विलम्ब से प्रस्तुत हुई है मात्र 06 दिवस का विलम्ब अनुविभागीय अधिकारी व्दारा क्षमा न करना तथा इस पर अपर आयुक्त व्दारा गौर न करना यही माना जावेगा कि आवेदक को जानबूझाकर न्याय पाने से बंचित रखना है। अतएव निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव व्दारा प्रकरण कमांक 80/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-6--2002 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 50/2002 -03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी, मेहगॉव को आदेश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपील प्रकरण कमांक 80/2001-02 का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

सदस्य